रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-932/2025/650/22-2-2025-17(447)/2025

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सलीम (बन्दी सं0- 423/2024) पुत्र श्री सकूर जो रामपुर रकवा, थाना-चौरी चौरा, जनपद-गोरखपुर का निवासी है, जिसे 1- सत्र परीक्षण संख्या-195/2007 व 41/2008 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा-5 एवं 7 सी०एल०ए० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश/एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोरखपुर के आदेश दिनांक 02.11.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.07.2024 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया, 2-एस०टी०नं0-5/2008, धारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, तृतीय, महराजगंज द्वारा दिनांक 31.01.2011 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड रू0 1,10,000/- के व्यक्तिक्रम में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की मूल सजा दिनांक 18.12.2017 को पूर्ण हो चुकी है, जुर्माने की सजा शेष है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.01.2025 तक अपरिहार 10 वर्ष, 11 माह, 07 दिन तथा 12 वर्ष, 08 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-932/2025/650(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

4- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

5- वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in